न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 84 / 2024   दायर दिनांक: 26.06.2024

उनवान

सौरभकुंवर पत्नि रघुवीरसिंह जाति राजपूत नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: आदेश :–

दिनाक : 07.04.2025

प्रार्थीया सौरभकुंवर पत्नि रघुवीरसिंह जाति राजपूत नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों / रेकार्ड – ग्राम रोशनबाडी के खाता सं. 98 की जमाबंदी सं. 2073–76, ख.नं. 192 की खसरा गिरदावरी सं. 2080, आवंटन नामा.सं. नामा.सं. 405 दि. 04.06. 2002, रघुवीरसिंह का आधारकार्ड (849233170742), सौरमकुंवर का जनाधार कार्ड (4864748025), तहसीलदारा रायपुर की रिपोर्ट पत्रांक 784 दि. 16.10. 2024, ग्राम पंचायत कडोदिया का प्रमाण पत्र दि. 02.09.2024 का अवलोकन किया गया। नामा.सं. 405 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के पति रघुराजसिंह पि. करणसिंह व अन्य को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा केम्प स्थल रोशनबाडी में आवंटन की गई थी। आंवंटन आदेश में प्रार्थीया का नाम सौरभ कुंवर पत्नि रघुराजसिंह जाति राजपूत दर्ज है। उक्त आवंटन आदेश के आधार पर जमाबंदी में राजस्व कार्मिको द्वारा प्रार्थीया / गैर खातेदार का नाम सौरम कुंवर पत्नि रधुराजसिंह हाडा अंकित किया गया। अतः स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिको ने भूमि आवंटन आदेश की पालना में जमाबंदी में अमल दरामद करते समय प्रार्थीया का नाम सौरभ कुंवर पत्नि रघुराजसिंह की जगह सौरम कुंवर पत्नि रघुराजसिंह अंकित किया गया जो कि एक लिपीकीय त्रुटी / टाईपिग त्रुटी जाहिर होती है। आवंटन आदेश एवं राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम रघुराजसिंह दर्ज है जो सही है। राजस्व रिकार्ड में पति के नाम दर्ज करने में राजस्व कार्मिको द्वारा कोई भूल नहीं की गई है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रोशनबाडी तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:47:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(5)

2073–76 के खाता संख्या 98 ख.नं. 192 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि में प्रार्थीया का नाम को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्रम संख्या	ग्राम / पटवार मण्डल / तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम रोशनबाडी प.म. कडोदिया तहसील रायपुर	98	सोरम कुंवर पत्नि रघुराज सिंह	सोरभ कुंवर पत्नि रघुराज सिंह

7/4/25

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

क्रमांकः– राजस्व / न्याय / 2025 / दिनांक 07.04.2025

प्रतिलिपी – तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:47:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner